12.598 7197 16205

R-11718

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

दियांक की प्राप्त ।

REGD. NO. D. L.-33004/99

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड ३ — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 540] No. 540] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर ८, २००४/अग्रहायण १७, १९२६

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2004/AGRAHAYANA 17, 1926

RM- 30 Deptt-100

> 7 7

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 नवम्बर, 2004

. सं. फेमा 125/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध—(भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 799(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

ा. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) ये संशोधन अक्तूबर 01, 2004 से लागू होंगे।*

2. विनियमावली में संशोधन

- (i) अनुसूची I के पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (4) के बाद निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा :
- ''(5) भारतीय कंपनी, जो इस अनुसूची के अंतर्गत अन्यथा शेयर जारी करने के लिए पात्र है, इस सूची के पैराग्राफ 5 में दिए गए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अधीन, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को, ईक्विटी/अधिमानीय शेयर जारी कर सकते हैं,
- (i) भुगतान के लिए देय रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क पर प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी देने वाला हो,
- (ii) चुकौती के लिए देय बाह्य वाणिज्यिक उधार पर उधारकर्ता हो (भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा व्यापार ऋण माने जाने वाले आयात देय से इतर) :

बशर्ते रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क/बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन के बाद कंपनी में विदेशी ईक्विटी, यदि कोई हो, अधिसुचित क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।''

- पैराग्राफ 3 में ''संलग्नक आ में निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं से परे'' शब्दों के बाद ''सीधे अथवा बाह्य वाणिष्यिक उधार/रॉयल्टी/ एकमुश्त शुल्क के परिवर्तन द्वारा'' शब्द जोड़ा जाए।
- (iii) पैराग्राफ 8 में उप-पैराग्राफ (ii) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए : ''स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में अन्यत्र दिए गए अनुसार भुगतान के लिए देय रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क अथवा विदेशी वाणिष्यिक उधार के परिवर्तन को इस पैराग्राफ के अर्थ में शेयरों के निर्गम के लिए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा''
- (iv) पैराग्राफ 9, उप-पैराग्राफ (1) (आ) में निम्निलिखित परंतुक जोड़ा जाए :
 ''बशर्ते, उपर्युक्त के अलावा, बाह्य वाणिज्यिक उधार को ईक्विटी में परिवर्तन को कंपनी संबंधित माह के फार्म ईसीबी-2 विवरणी में रिपोर्ट करेगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंशिक परिवर्तन के मामले में परिवर्तित अंश की सूचना फार्म ईसी-जीपीआर और अपरिवर्तित अंश की सूचना फार्म ईसीबी-2 में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी।''

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-III] श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर

पाद टिप्पणी : (i) यह उस तारीख के रूप में उल्लिखित किया गया है जिस में प्राधिकृत व्यापारियों को निदेश जारी किए गए देखें अक्तूबर 1, 2004 का ए.पी. (डीआईआर सिरीज) परिपन्न सं. 15

(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सं. सा. का. नि. 406(अ) में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चांत् निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

दिनांक 13-3-2001 का सं. सा.का.नि. 175(अ)

दिनांक 14-3-2001 का सं. सा.का.नि. 182(अ)

दिनांक 2-3-2001 का सं. सा.का.नि.15⁸(अ)

दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. 574(अ)

दिनांक 2-1-2002 का सं. सा.का.नि. 4(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 223(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 225(अ)

दिनांक 22-7-2003 का सं. सा.का.नि. 558(अ)

दिनांक 23-10-2003 का सं. सा.का.नि. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सं. सा.का.नि. 899(अ)

दिनांक 7-1-2004 का सं. सा.का.नि. 12(अ)

दिनांक 23-04-2004 का सं. सा.का.नि. 278(अ)

दिनांक 21-09-2004 का सं. सा.का.नि. 625(अ)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th November, 2004

NO. FEMA 125/2004-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB

dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2004.
 - (ii) These amendments come into effect from October 01, 2004*.
- 2. Amendment of the Regulations.—(i) In paragraph 2 of Schedule 1, after Sub-paragraph (4), the following sub-paragraph may be added:
 - "(5) An Indian company, otherwise eligible to issue shares under this Schedule may issue equity/preference shares, subject to pricing guidelines as given in paragraph 5 of this Schedule, to a person resident outside India,
 - (i) being a provider of technology/technical know-how, against Royalty/Lumpsum fees due for payment;
 - (ii) against External Commercial Borrowing (ECB) (other than import dues deemed as ECB or Trade Credit as per RBI Guidelines):
 - Provided, that the foreign equity in the company after the conversion of Royalty/Lumpsum fee/ECB into equity is within the sectoral cap notified, if any
 - (ii) In Paragraph 3, after the words "beyond the sectoral limits stipulated in Annexure B" the words "either directly or by conversion of ECB/Royalty/Lumpsum fee" may be added.
 - (iii) In paragraph 8, the following explanation may be added after sub-para (ii):
 - "Explanation: Conversion of Rayalty/Lumpsum fee due for payment or conversion of ECB, as given elsewhere in this Schedule, shall be treated as consideration for issue of shares within the meaning of this paragraph."
 - (iv) In Paragraph 9, sub-paragraph (1) (B), the following proviso may be added:
 - "Provided that, in addition to above, the company shall report the conversion of ECB into equity, in ECB-2 Return of the respective month in case of full conversion of ECB. In case of partial conversion of ECB, the converted portion shall be reported in Form FC-GPR to the concerned Regional Office of the Reserve Bank and non-converted portion in Form ECB-2."

[No. 1/23/EM/2000-Vol. III] SHYAMALA GOPINATH, Dy. Governor

Foot Note: (i) *This has been mentioned as the date on which the directions were issued to Authorised Dealers vide A.P. (DIR Series) Circular No. 15 dated October 1, 2004.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 175(E) dated 13-3-2001.

G.S.R. No. 182(E) dated 14-3-2001.

G.S.R. No. 158(E) dated 2-3-2001.

G.S.R. No. 574(E) dated 19-8-2002.

G.S.R. No. 4(E) dated 2-1-2002.

G.S.R. No. 223(E) dated 18-3-2003.

G.S.R. No. 225(E) dated 18-3-2003.

G.S.R. No. 558(E) dated 22-7-2003.

G.S.R. No. 835(E) dated 23-10-2003.

G.S.R. No. 899(E) dated 22-11-2003.

G.S.R. No. 12(E) dated 7-1-2004.

G.S.R. No. 278(E) dated 23-4-2004.

G.S.R. No. 625(E) dated 21-9-2004.